IV - 12

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

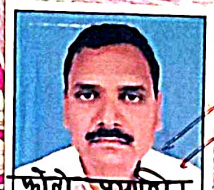

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

U 875293

माँ शारदा स्मृति ट्रस्ट

न्यास विलेख (Instrument of Trust)

यह न्यास विलेख आज दिनांक 08–05–08 को गाजीपुर में नरेन्द्र कुमार वर्मा पुत्र श्रीराम सिंह कुशवाहा, निवासी ग्राम– मेहदीपुर, पोस्ट– दुल्लहपुर, विकास खण्ड व तहसील– जखनियां, जनपद– गाजीपुर (उ.प्र.) द्वारा घोषित किया गया–

जिन्हें आगे न्यासकर्ता/ संस्थापक कहा जायेगा क्योंकि न्यासकर्ता संस्थापक पर रूपया 5000/– (पांच हजार रूपया मात्र) की राशि है जिसे कि वह पुरूषार्थ एवं सामाजिक कार्यों हेतु दान देने की इच्छा करते हैं। न्यासकर्ता/ संस्थापक उक्त राशि का अप्रति सहरणीय न्यास बनाने हेतु इच्छुक हैं जो कि समाज उत्थान हेतु सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक आदि दृष्टिकोण के आधार पर संस्थाहित, जनहित एवं समाज हित को ध्यान में रखते हुये शिक्षा क्षेत्र के साथ–साथ अन्य क्षेत्रों जैसे– प्राविधिक, उच्च, चिकित्सा, व्यावसायिक आदि क्षेत्र में विशेषरूप से कार्य करेगा क्योंकि यह ट्रस्ट माँ शारदा स्मृति ट्रस्ट के नाम से जाना जायेगा तथा कार्य करेगा जिसे कि आगे संक्षिप्त में ट्रस्ट भी कहा जा सकेगा। क्योंकि ट्रस्ट का न्यासकर्ता मैनेजिंग ट्रस्टी होगा जिसे कि आगे ट्रस्ट का अध्यक्ष कहा जा सकेगा। न्यासकर्ता/ संस्थापक की यह भी इच्छा है कि वह विभिन्न श्रोतों से दान, उपकार, ऋण आदि भी सम्मिलित है, जिसके द्वारा ट्रस्ट के कोष सम्पदा एवं साधनों को बढ़ाये ताकि ट्रस्ट अपने उद्देश्यों में प्रभावी रूप से सफल हो सके और न्यासकर्ता/ संस्थापक ने अपनी इच्छा के अनुकूल 5000/– (पांच हजार रूपये) की नकद राशि ट्रस्ट को प्रदान की है और क्योंकि वर्तमान में इस ट्रस्ट का पंजीकृत कार्यालय ग्राम– मेहदीपुर, पोस्ट– दुल्लहपुर, विकास खण्ड व तहसील– जखनियां, जनपद– गाजीपुर (उ.प्र.) में रहेगा एवं अधिक सुविधा जनक स्थान मिलने पर इस कार्यालय को समय–समय पर उचित स्थान पर स्थानान्तरित किया जा सकेगा। क्योंकि न्यासकर्ता/ ट्रस्टी/ अध्यक्ष द्वारा ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु

[illegible] 25 .... ६२०० [illegible]
[illegible] ६५८२
[illegible] [illegible]

[illegible] १००।

[illegible]

[illegible] सिटीजन,
[illegible] 8-5-08
[illegible] (2002)

[illegible] १०००/- शुल्क निबन्धन शुल्क प्रतिलिपि योग शब्द लगभग
१००/- ५०/- १५०/- = १८००

श्री [illegible] पुत्र श्री [illegible]
पेशा [illegible] निवासी [illegible]
जिला [illegible]
उप-नि [illegible]
प्राक व [illegible]
8-5-2008 [illegible] 12
व .... बजे दिन के [illegible] किया।

[illegible]

उप निबन्धक 8-5-2008
जखनिया

[illegible] लगभग का
१०००/- [illegible]
[illegible]

[illegible] श्री [illegible]
पुत्र [illegible] निवासी [illegible]
परगना [illegible] जिला गाजीपुर
श्री [illegible] जखनिया ने की।

उप निबन्धक 8-5-2008
जखनिया

[illegible] [illegible] [illegible]

उपरोक्त [illegible] प्रमाणित होते हैं
नियमानुसार [illegible] हैं।

उप निबन्धक 8-5-2008
जखनिया

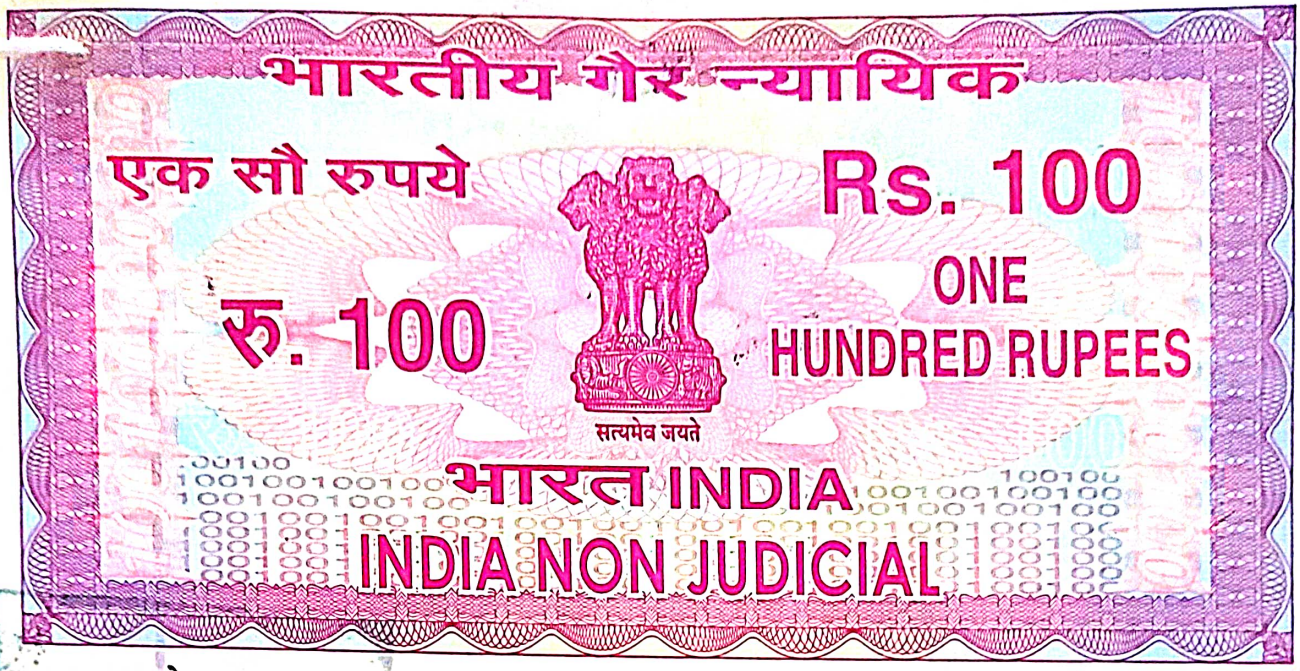

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH U 875294

नियमावली निम्नप्रकार धाराबद्ध घोषित किया जाता है।

मॉ शारदा स्मृति ट्रस्ट (इण्डियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के अन्तर्गत कार्यरत ट्रस्ट)

उद्देश्य एवं नियमावली :

1– ट्रस्ट के उद्देश्य : ट्रस्ट निम्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिये कार्य करेगा –

1. बिना लिंग भेद किये हुये सबके लिये प्राथमिक पाठशाला, जूनियर हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट कालेज, महाविद्यालय, पुस्तकालयों, वाचनालयों, प्रयोगशालाओं, चिकित्सालयों, अनाथालयों, वृद्धाश्रमों, अनुसंधान केन्द्रों, छात्रावासों, कम्प्यूटर केन्द्रों, निराश्रितों, सामुदायिक विकास केन्द्रों, सर्वेक्षण केन्द्रों, पर्यावरण, एड्स उत्थान केन्द्रों की स्थापना, नामकरण, विकास, सम्बद्ध आबद्ध, प्रबन्ध संचालन आदि कर सकता है तथा आवश्यकता होने पर विभिन्न परिषदों, विभागों, प्रतिष्ठानों, संस्थाओं, शासन आदि से उन्हें सम्बद्ध आबद्ध पंजीकृत, अनुमोदित, स्वीकृत कराना।
2. ग्राम विकास अभिकरण की गतिविधियों का संचालन करना।
3. खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना एवं संचालन करना।
4. कृषि कार्य हेतु बंजर भूमि का सुधार एवं कटाव रोककर जल संरक्षण एवं नमी का संरक्षण करना।
5. उद्यानीकरण एवं जगलादि का विकास करना।
6. महिला बालविकास एवं स्वास्थ्य सहयोग हेतु विविध कार्यक्रम संचालित करना।
7. प्रतियोगात्मक परीक्षाओं की तैयारी हेतु संस्थाओं की स्थापना करना।
8. कृषि संगीत सम्बन्धित आदि विषयों की शिक्षा तथा उसको विकास हेतु संस्थान की स्थापना करना।

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

U 875295

(2)

9. केन्द्र सरकार के सभी विभागों मानव संसाधन, समाज कल्याण, नाबार्ड, कपार्ट, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड, महिला कल्याण, नेहरू युवा केन्द्र, खेलकूद युवा कल्याण मंत्रालय, ग्रामविकास मंत्रालय आदि सभी विभागों के कार्यक्रम का संचालन करना।
10. आई.टी.आई., आई.आई.टी., पालिटेक्टनीक, इन्जीनियरिंग, फार्मेसी, नर्स ट्रेनिंग, आपरेशन टेक्नीशियन, लेब टेक्नीशियन, फिजियो थेरेपी आदि मेडिकल कालेजों की स्थापना एवं संचालन करना।
11. समाज के लोगों के लिये हास्पिटल, नर्सिंग होम, स्वास्थ्य केन्द्र, मेडिकल स्टोर, जनरल स्टोर, किराना की दुकान, फोटोस्टेट, टाईपिंग, कम्पनी फर्म इत्यादि की व्यवस्था करना।
12. पुस्तकालय, वाचनालय, पत्र-पत्रिकाओं, समाचार पत्रों इत्यादि का प्रकाशन, मुद्रण, बिक्री एवं मूल्य का निर्धारण करना।
13. अन्धे, गूंगे, बहरे, असहाय लोगों के लिये शिक्षा, चिकित्सा, आवास, भोजन इत्यादि की व्यवस्था करना।
14. विभिन्न विषयों के पाठ्यक्रमों तथा व्यावहारिक, प्रायोगिक कला, वाणिज्यिक, वैज्ञानिक, क्रीडा मार्शल आर्ट, संगीत, तकनीकी, सामाजिक, आधुनिक भाषा, उर्दू, अंग्रेजी, कम्प्यूटर, प्रोफेशनल आदि विषयों का विभिन्न स्तर पर शिक्षा प्रदान करने का प्रबन्ध करना।
15. विभिन्न प्रतियोगिताओं एवं प्रतिस्पर्धा परीक्षाओं में छात्र/छात्राओं को सफल बनाकर स्वावलम्बी बनाने हेतु उनके अध्ययन, अध्यापन, आवास आदि सुविधाओं का प्रबन्ध करना।
16. साहित्यिक पुस्तकों, पत्रों, पाठ्यक्रमों आदि का सृजन, सम्पादन, प्रकाशन, मुद्रण एवं वितरण कर सकना।
17. सांस्कृतिक, पर्यावरण एवं एड्स कार्यक्रम व अधिवेशन, गोष्ठियों, सम्मेलन, प्रतियोगिताएं, बैठकें, विशेष कक्षाएं, सत्र प्रोत्साहन आदि कार्यक्रम आयोजित कर सकना।

ऋतु

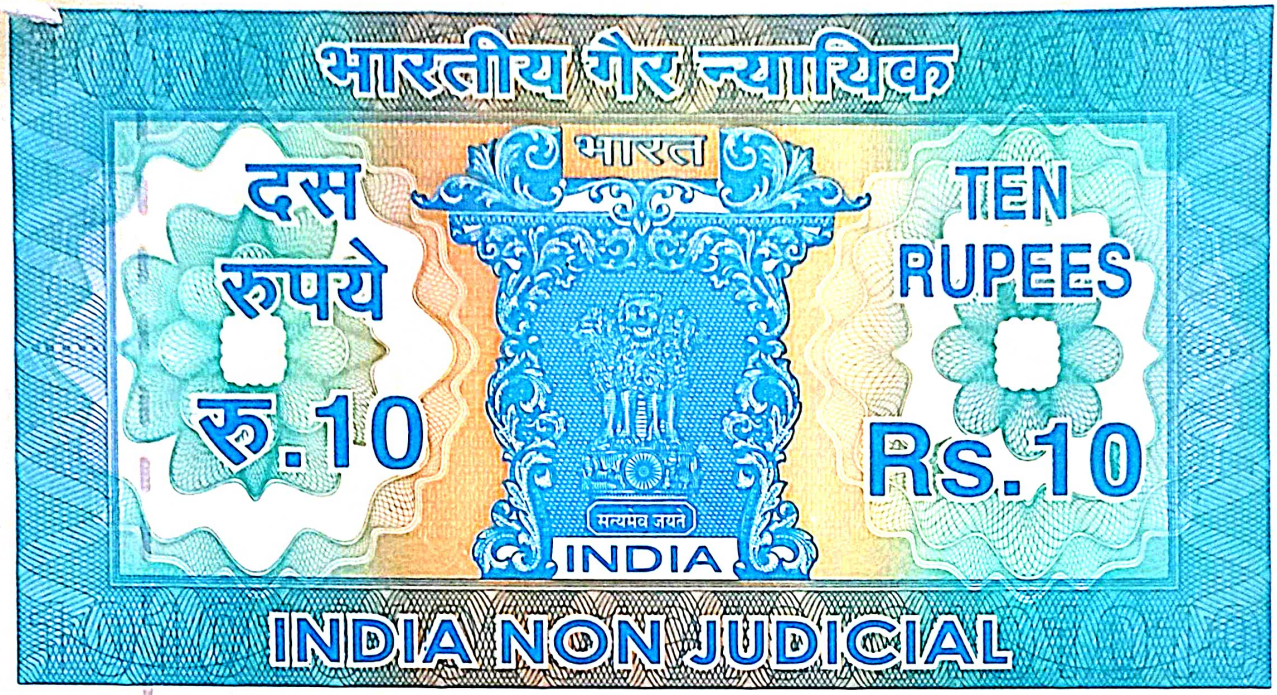

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 40AA 575634

18. सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, स्क्रीन प्रिन्टिंग आदि की शिक्षा हेतु शिक्षण–प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना करना।
19. व्यक्ति विशेष, अन्य सोसाइटी, ट्रस्ट द्वारा संचालित विद्यालयों, महाविद्यालयों, मेडिकल कालेज, इंजीनियरिंग कालेज, आई.टी.आई. कालेजों को अपने ट्रस्ट द्वारा संचालित करना उनको इस ट्रस्ट में समायोजित कर सकना।
20. ट्रस्ट के उद्देश्य की पूर्ति विभिन्न राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों, संस्थाओं तथा व्यक्तियों से आर्थिक सहयोग प्राप्त कर सकना अथवा प्रदान कर सकना।
21. विधि सम्मति उपयोगी जानकारी का प्रचार एवं प्रसार कर सकना।
22. आयुर्वेदिक औषधियों का उत्पादन करना एवं उसका प्रचार व प्रसार कर सकना।
23. कृषि उपयोगी कार्य कर सकना व उसका प्रचार तथा प्रसार कर सकना।
24. पर्यावरण को सुधारने हेतु प्रयास करना एवं पर्यावरण सुधार के लिये जानकारी देना एवं सेमिनार करना।
25. एड्स के बारे में जानजागरण हेतु प्रचार–प्रसार करना।
26. पुस्तक–पुस्तिकाएं, पत्र–पत्रिकाएं, समाचार पत्र आदि को प्रकाशित, सम्पादित, वितरित एवं विक्रय करना।
27. ट्रस्ट द्वारा दी जा रही सेवाओं / वस्तुओं के लिये समुचित शुल्क / मूल्य निर्धारण कर प्राप्त करना।
28. पत्राचार द्वारा अध्ययन अध्यापन को प्रोत्साहित कर सकना तथा तत्सविधिक आवश्यक व्यवस्थाएं कर सकना।
29. उपभोक्ता अधिकार, पर्यावरण सुधार, उसर सुधार जैसे– सामाजिक दायित्व के विषयों पर जन चेतना जागृत करने हेतु कार्य कर सकना।

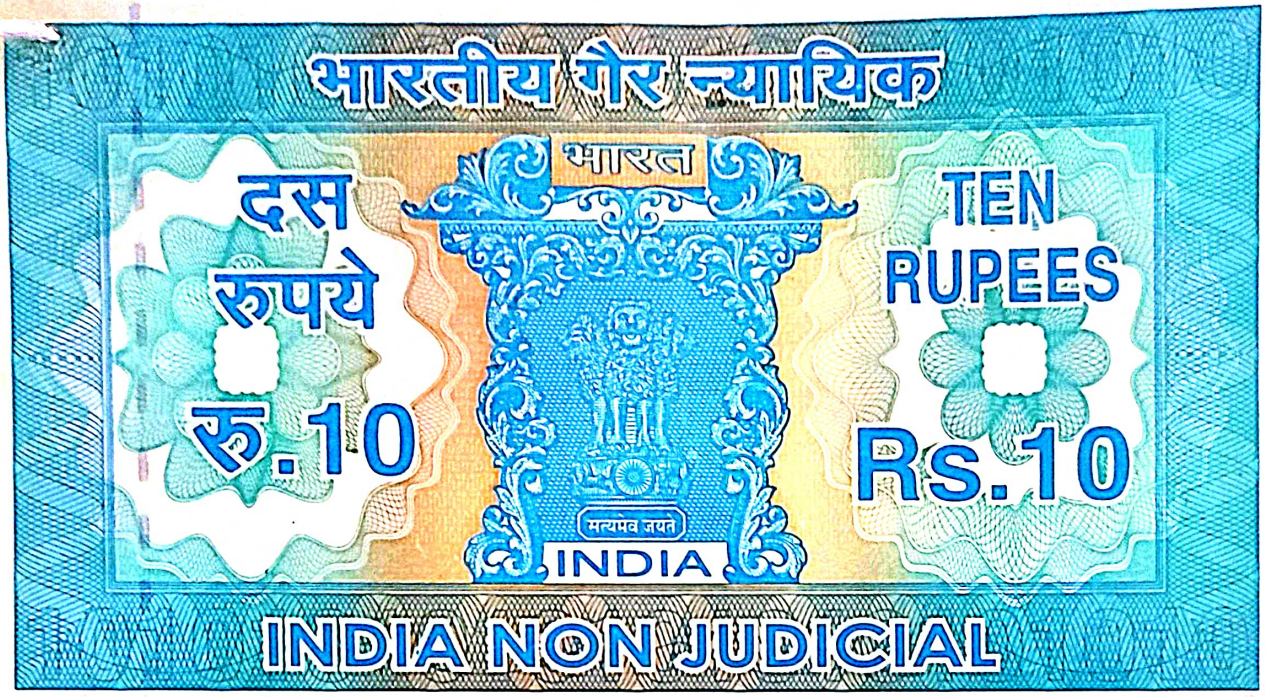

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 40AA 575635

30. धार्मिक स्थलों का निर्माण व जिर्णोद्वार कर सकना।
31. जनकल्याण हेतु विभिन्न कार्यक्रमो का आयोजन एवं क्रियान्वयन कर सकना।
32. विभिन्न आयोजनों एवं कारणों हेतु छात्रवृत्ति, पुरस्कार सहायता एवं वित्तीय सहायता स्मृति चिन्ह आदि प्रदान कर सकना।
33. विभिन्न संस्थाओं विद्यालयों, महाविद्यालयों, मेडिकल कालेज, इंजीनियरिंग कालेज, व्यावसायिक कालेजों एवं प्रतिष्ठानों के विशेषाधिकार प्राप्त कर सकना तथा अपने विशेषाधिकार अन्य को प्रदान कर सकना।
34. ट्रस्ट के कोष एवं सम्पदा में वृद्धि करना, विनियोजन करना तथा उसका ट्रस्ट के उद्देश्य में प्रयोग करना।
35. ट्रस्ट जनसामान्य के हित में कार्य करेगा। ट्रस्ट यथा सम्भव अपनी उत्पादित वस्तुएं लागत मूल्य पर ही देने का प्रयास करेगा। ट्रस्ट द्वारा जनहित में सड़क, खड़न्जा, तालाबों का निर्माण कर मछली पालन, पशुपालन तथा मधुमक्खी पालन आदि का प्रचार–प्रसार करना।
36. ट्रस्ट अपने उद्देश्य पूर्ति हेतु जनकल्याण एवं राष्ट्रकल्याणकारी योजनाओं को क्रियान्वयन करेगा।
37. ट्रस्ट अपने समस्त आय एवं लाभ कालान्तर में ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये ही व्यय करेगा।
38. किसानों के उत्थान एवं विकास हेतु पालीक्लिनिक का निर्माण करना।
39. किसानों के उत्थान हेतु एवं कृषि सुधार हेतु नवीन बीजों की जानकारी देना।
40. फलसंरक्षण, अचार–मुरब्बा, औषधिय खेती की जानकारी देना एवं उत्पादन किये गये माल का आयात–निर्यात करना।

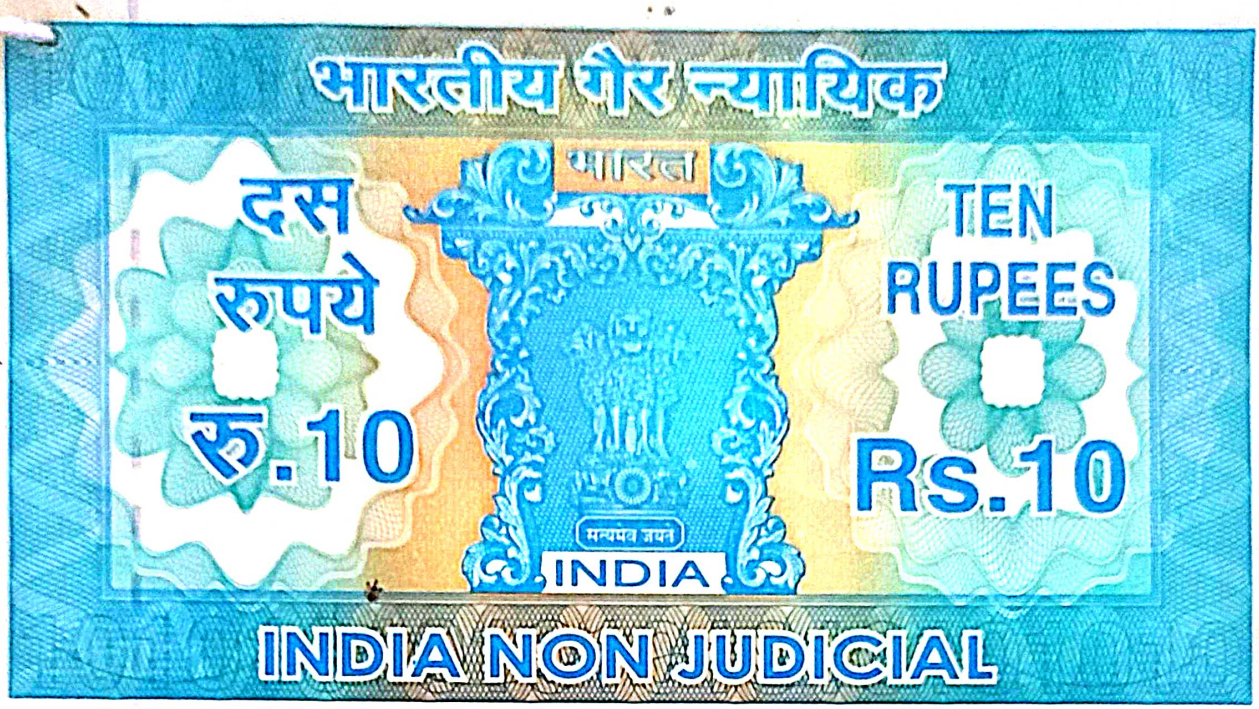

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH . 40AA 575636

2– प्रारम्भिक उपबंध :

1. वर्तमान में ट्रस्ट डीड के पंजीकृत के दिनांक से नरेन्द्र कुमार वर्मा जो कि न्यासकर्ता व इस न्यास विलेख के रचयिता भी हैं को इस ट्रस्ट का मैनेजिंग ट्रस्टी अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है।
2. यदि कोई अन्य व्यवस्था वर्तमान मैनेजिंग ट्रस्टी अध्यक्ष नरेन्द्र कुमार वर्मा द्वारा रजिस्टार के यहाँ रजिस्ट्री कर सुनिश्चित न की जाय तो नरेन्द्र कुमार वर्मा के मृत्यु के पश्चात सूरज वर्मा पुत्र नरेन्द्र कुमार वर्मा इस ट्रस्ट के ट्रस्टी अध्यक्ष होंगे। यदि नरेन्द्र कुमार वर्मा के लड़के बालिग न हों तो उनकी पत्नी श्रीमती सविता मौर्य इस ट्रस्ट की तब तक मैनेजिंग ट्रस्टी अध्यक्ष होंगी जब तक सूरज वर्मा कानूनी रूप से बालिग न हो जायें।
3. वर्तमान मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष अपने जीवनकाल में ही जब चाहे अपना उत्तरदायित्व अपने उत्तराधिकारियों को स्थानान्तरित कर सकते हैं।
4. यदि श्री नरेन्द्र कुमार वर्मा के मृत्यु के समय उनके लड़के नाबालिग होते हैं तो उनकी ओर से उनकी पत्नी श्रीमती सविता मौर्य मैनेजिंग ट्रस्टी का कार्यभार संभालेंगी जब तक कि उनके पुत्र सूरज वर्मा कानूनी रूप से बालिग न हो जाये।

3– मैनेजिंग ट्रस्टी / अध्यक्ष पद का उत्तराधिकारी/स्थानान्तरण :

1. मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष का कर्त्तव्य है कि वह अपने जीवनकाल में अपने उत्तराधिकारी मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष की व्यवस्था कर दें।
2. मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष अपने जीवनकाल में ही मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष का पद किसी को प्रदान कर सकता है।
3. किसी व्यक्ति के मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष बनते ही उसे वह सभी अधिकार प्राप्त हो जायंगे जो

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 40AA 575637

कि इस ट्रस्टडीड के मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष को प्रदत्त किये गये हैं।

4. मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा अपने अपने उत्तराधिकारी की घोषणा न कर पाने एवं व्यवस्था करने से पूर्व मृत्यु हो जाने की अवस्था में मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष पद पर आसीन व्यक्ति का व्यक्तिगत उत्तराधिकारी ही ट्रस्ट का मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष बनेगा। कोई असुविधा होने पर उत्तराधिकार अधिनियम की व्यवस्थाओं से मार्ग दर्शन प्राप्त किया जा सकता है।
5. मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष यह व्यवस्था रजिस्ट्रार के यहां रजिस्टर्ड कराके अथवा अपनी वसियत द्वारा भी यह सुनिश्चित कर सकता है कि अपने जीवन काल के उत्तरार्द्ध में की गयी वसियत /इच्छा/ व्यवस्था ही अन्तिम रूप से मान्य होगी।
6. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि कार्यरत मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष अपने जीवन काल में अपना कार्यभार अपने उत्तराधिकारी को हस्तानान्तरित कर देता है तो वह अपने निर्णय पर पुनर्विचार नहीं कर सकेगा।
7. कार्यरत मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष तभी अपने उत्तराधिकारी हस्तान्तरण विषय पर विचार एवं पुनर्विचार करने हेतु स्वतंत्र है जब तक कि वास्तविक रूप से कार्यभार अपने उत्तराधिकारी को न प्रदान कर दे।
8. कार्यरत मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा अपने उत्तराधिकारी को दिया गया कार्यभार हस्तान्तरण समस्त अधिकारों सहित पूर्ण माना जायेगा।

4– बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़

1. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष यदि उचित समझे तो विषयों पर विचार–विमर्श करने एवं सलाह प्राप्त करने हेतु बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज का गठन कर सकता है जिसमें की अधिकतम 21 सदस्य होंगे।

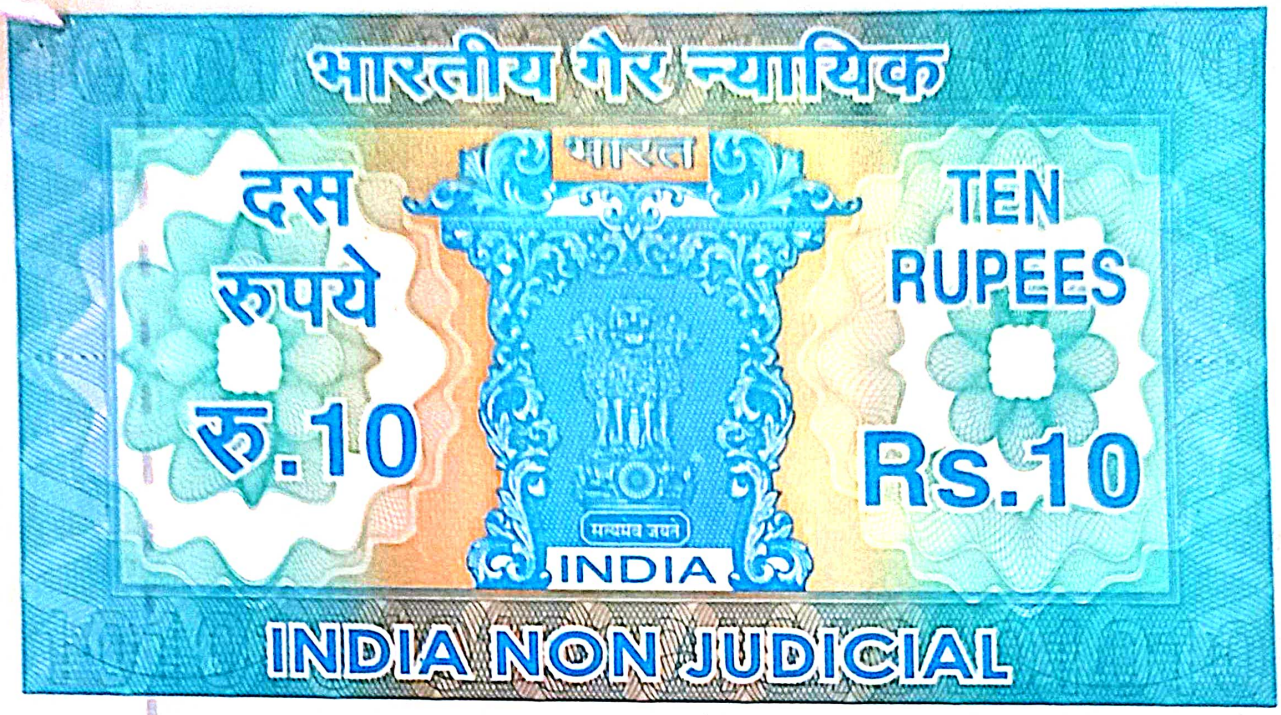

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 40AA 575638

2. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष किसी भी व्यक्ति को ट्रस्टी मनोनित करते समय उसका कार्यकाल स्पष्ट करेगा। ट्रस्टी की कार्य अवधि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष की इच्छा पर निर्भर करती है तथा मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष किसी भी व्यक्ति का कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व ही बिना किसी को कोई कारण बताये ट्रस्टी के पद से हटा सकता है।
3. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष जब भी उचित समझे बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक बुला सकता है जिसकी अध्यक्षता ट्रस्टी स्वयं करेगा।
4. यह कि बोर्ड ऑफ ट्रस्टी उन्हीं विषयों पर विचार करेगा तथा सुझाव देगा, जिनको कि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
5. यह कि बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज द्वारा किये गये किसी भी सुझाव को मानना स्वीकार करना अथवा अस्वीकार करना पूर्णतया मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष की इच्छा एवं विवेक पर निर्भर करता है। इस संदर्भ में मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष के द्वारा लिया गया निर्णय ही मान्य एवं अन्तिम होगा।

5– मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष का कार्यालय एवं सुविधाएं :

1. यह कि ट्रस्टी/अध्यक्ष को ट्रस्ट द्वारा विभिन्न सुविधाओं से युक्त कार्यालय एवं वाहन की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी। इन सुविधाओं के स्तर को सुनिश्चित करने में मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष का निर्णय ही अन्तिम रूप से मान्य होगा।
2. यह कि ट्रस्टी/अध्यक्ष अपना उत्तरदायित्व वहन करने हेतु ट्रस्ट से मासिक मानदेय/ भत्ते आदि पर यदि कोई आयकर लगता है तो ट्रस्टी/अध्यक्ष ट्रस्ट द्वारा आय से ही आयकर का भुगतान करेगा।

6– कार्यक्षेत्र :

ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण भारत होगा। जिसमें सामाजिक उत्थान हेतु विश्व के किसी राष्ट्र व

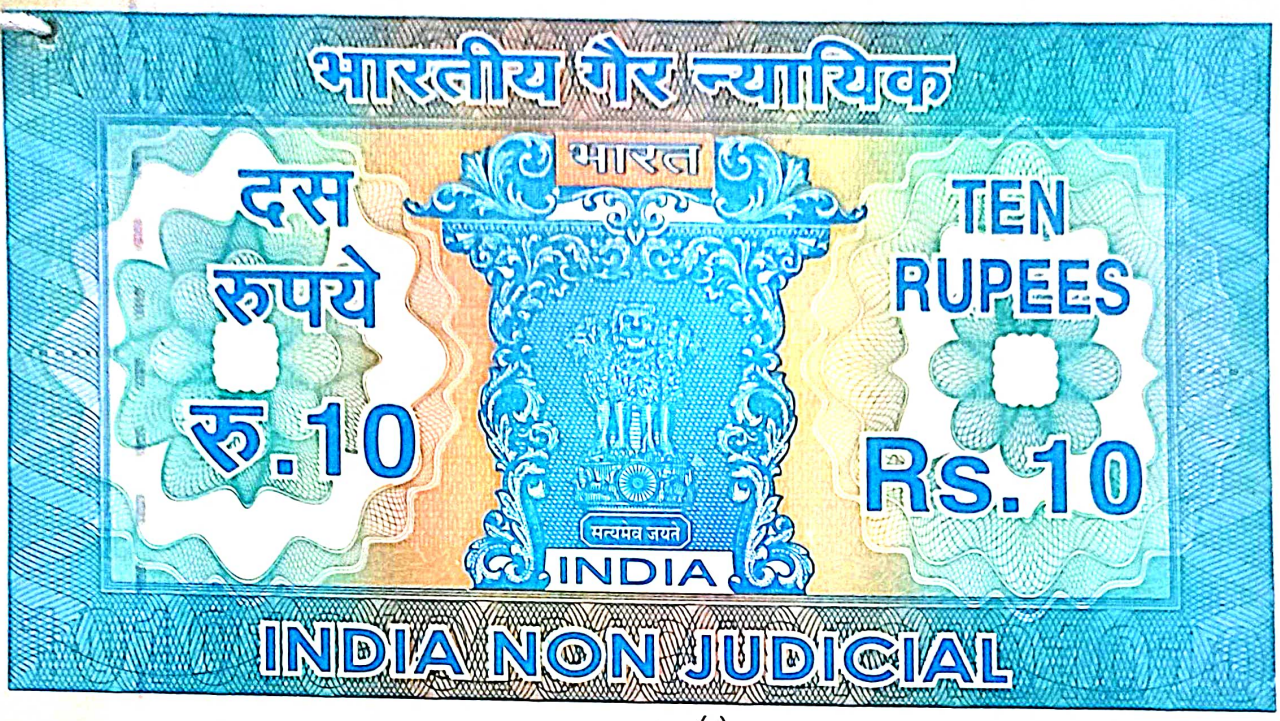

(9)

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 40AA 575639

व्यक्ति विशेष से सहायता एवं परामर्श प्राप्त कर सकता है अथवा दे सकता है।

7– मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष का विशेषाधिकार :

मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष को यह विशेषाधिकार प्राप्त होगा कि वह ट्रस्ट के अन्तर्गत कार्यरत किसी भी अधिकारी/ कर्मचारी द्वारा लिये गये निर्णय में हस्तक्षेप कर निरस्त/स्वीकृत/ अस्वीकृत/ संशोधित कर सकता है। मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष ट्रस्ट के कार्यकलापों में किसी भी स्तर पर कोई भी दिशा निर्देश दे सकता है जो सभी सम्बन्धित पक्षों को अन्तिम रूप से मान्य एवं स्वीकार होगा।

8– सचिव/ उपसचिवों की नियुक्ति :

1. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/ अध्यक्ष ट्रस्ट के दिन प्रतिदिन के कार्यों को करने एवं देखभल करने के लिए ट्रस्ट के लिए एक सचिव एवं आवश्यकता पड़ने पर एक अथवा अधिक उपसचिवों की नियुक्ति कर सकेगा।
2. यह कि सचिव/उपसचिवों के वेतन भत्ते सुविधाएं, कार्य नियम, मैनेजिंग ट्रस्टी/ अध्यक्ष द्वारा निश्चित किये जायेंगे।
3. यह कि उक्त सचिव/ उपसचिव मैनेजिंग ट्रस्टी के इच्छा तक कार्य करेंगे। मैनेजिंग ट्रस्टी/ अध्यक्ष किसी भी समय बिना कोई कारण बताये उक्त पदों पर कार्यरत व्यक्तियों के विरूद्ध प्रशासनिक विधिक / अनुशासनात्मक कार्यवाही कर सकता है अथवा उक्त व्यक्तियों के अधिकार एवं कर्तव्य किसी अन्य व्यक्ति को प्रदान कर सकता है।

9– उपाध्यक्ष की नियुक्ति :

1. मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष ट्रस्ट के दिन–प्रतिदिन के कार्यों को देखभाल करने के लिये एक

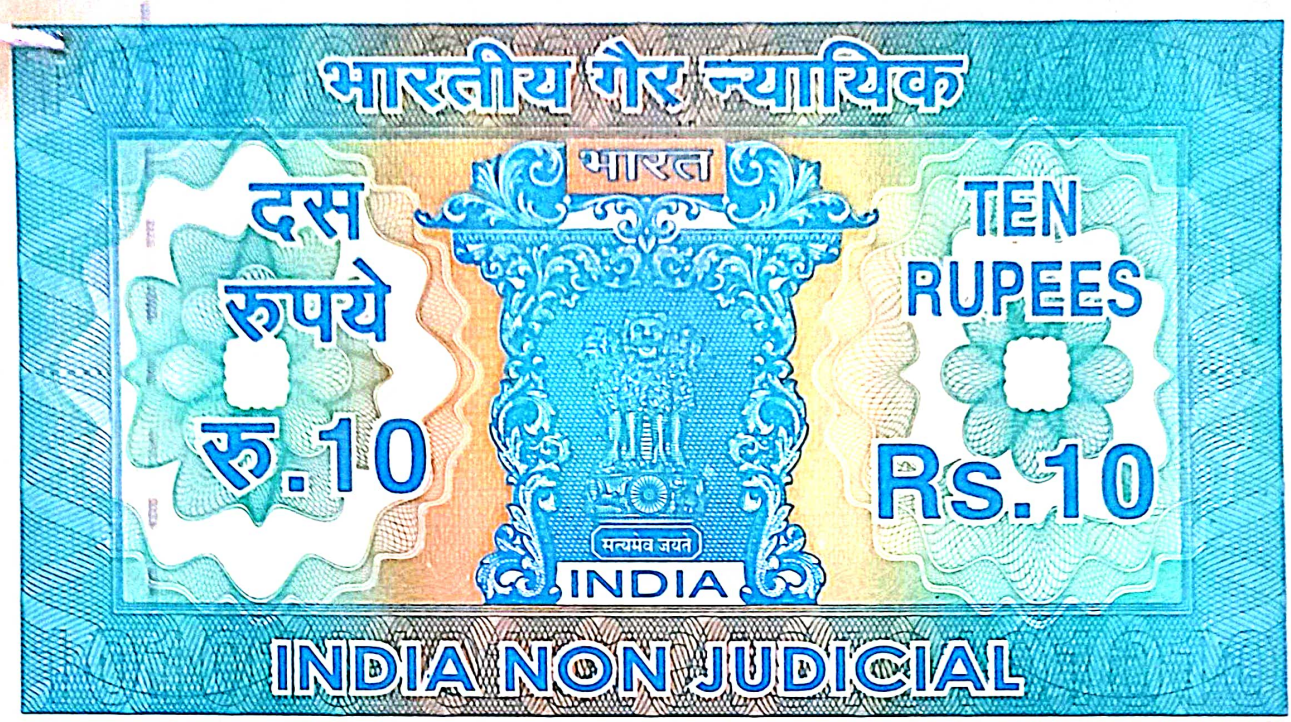

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 40AA 575640

उपाध्यक्ष की नियुक्ति एवं आवश्यकता पड़ने पर अधिकतम दो उपाध्यक्षों की नियुक्ति कर सकेगा।

2. यह कि उपाध्यक्ष/ उपाध्यक्षों के वेतन भत्ते, सुविधाएं कार्य मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा निश्चित किये जायेंगे।

3. यह कि उपाध्यक्ष/ उपाध्यक्षों मनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष के इच्छा तक कार्य करेंगे। ट्रस्टी किसी भी समय बिना कोई कारण बताये उक्त पदों पर कार्यरत व्यक्तियों के विरूद्ध प्रशासनिक/ अनुशासनात्मक कार्यवाही कर सकता है अथवा उक्त कार्यरत व्यक्ति को हटा कर इन पदों पर दूसरी नियुक्ति कर सकता है अथवा उनके अधिकार को किसी व्यक्ति को हस्तानान्तरित कर सकता है।

10– अध्यक्ष के अधिकार एवं कर्तव्य :

यह कि इस ट्रस्टडीड के अन्तर्गत ट्रस्टी/अध्यक्ष को प्राप्त विभिन्न अधिकारी एवं कर्तव्यों के अतिरिक्त ट्रस्टी/ अध्यक्ष के निम्न अधिकार व कर्तव्य भी होंगे –

क– बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक बुलाना एवं उसकी अध्यक्षता करना।

ख– ट्रस्ट के समस्त कार्यों का उत्तरदायी ढंग से देख–रेख करने के उपाध्यक्ष, सचिव, उपसचिवों की नियुक्ति करना।

ग– इस ट्रस्ट डीड में उल्लिखित ट्रस्ट के उद्देश्य एवं नियमावली में संशोधन/ परिवर्तन कर सकना जो कि रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्ट्रीकृत होने की दिनांक से मान्य होगा।

11– उपाध्यक्ष के अधिकार एवं कर्तव्य :

अध्यक्ष/ ट्रस्टी की अनुपस्थित में अध्यक्ष की लिखित अनुमति से अध्यक्ष द्वारा बताये गये

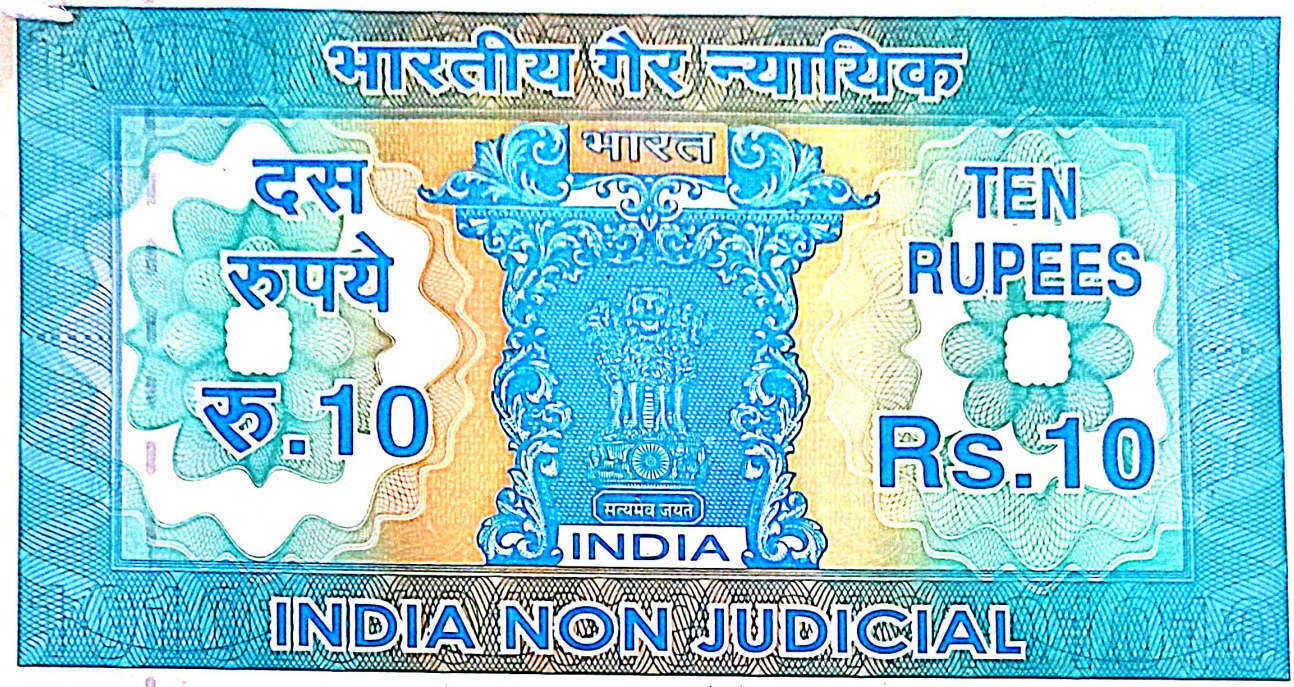

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 40AA 575641

विषय पर विचार–विमर्श हेतु बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक बुलाना एवं अध्यक्षता करना परन्तु उपाध्यक्ष बिना अध्यक्ष की अनुमति के कोई निर्णय नहीं ले सकता।

12– सचिव के अधिकार एवं कर्तव्य :

ट्रस्ट के समस्त कार्यों के लिए ट्रस्ट का सचिव अन्तिम रूप से कार्यरत एवं उत्तरदायी है। ट्रस्ट के सचिव के निम्न कर्तवय एवं अधिकार हैं –

1. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति करने हेतु सभी उपाय एवं कार्यवाही करना।
2. ट्रस्ट के अन्तर्गत होने वाले सभी कार्यकलापों एवं दिन प्रतिदिन की गतिविधियों पर नियंत्रण रखना।
3. ट्रस्ट के अन्तर्गत संचालित कार्यों हेतु पदाधिकारियों की नियुक्ति पदमुक्त तथा उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक प्रशासनिक कार्यवाही कर सकता है।
4. विभिन्न कार्यकलापों के उद्देश्यों को पूर्ण करने हेतु प्रकोष्ठों/ विभाग केन्द्रों/ संस्थाओं/ उप संस्थाओं का गठन कर सकना तथा उनके संयोजकों/ निदेशकों/ पदाधिकारियों आदि के संचालन हेतु आवश्यकता अनुसार नियम/उप नियम बना सकना।
5. ट्रस्ट को प्राप्त किसी शिकायत की जांच हेतु समिति गठित करना।
6. एक से अधिक विशेष कार्य अधिकारी नियुक्त होने की स्थिति में उनका कार्य विभाजन करना।
7. प्रचार/प्रसार/मुद्रण/प्रकाशन/वितरण/विक्रय की सर्वोत्तम व्यवस्था करना।
8. जनसामान्य के कल्याणार्थ विभिन्न आयोजन करना।

13– उप सचिव के अधिकार एवं कर्तव्य :

1. सचिव के अनुपस्थिति में उनके पद के अधिकार एवं कर्तव्य का पालन करना।

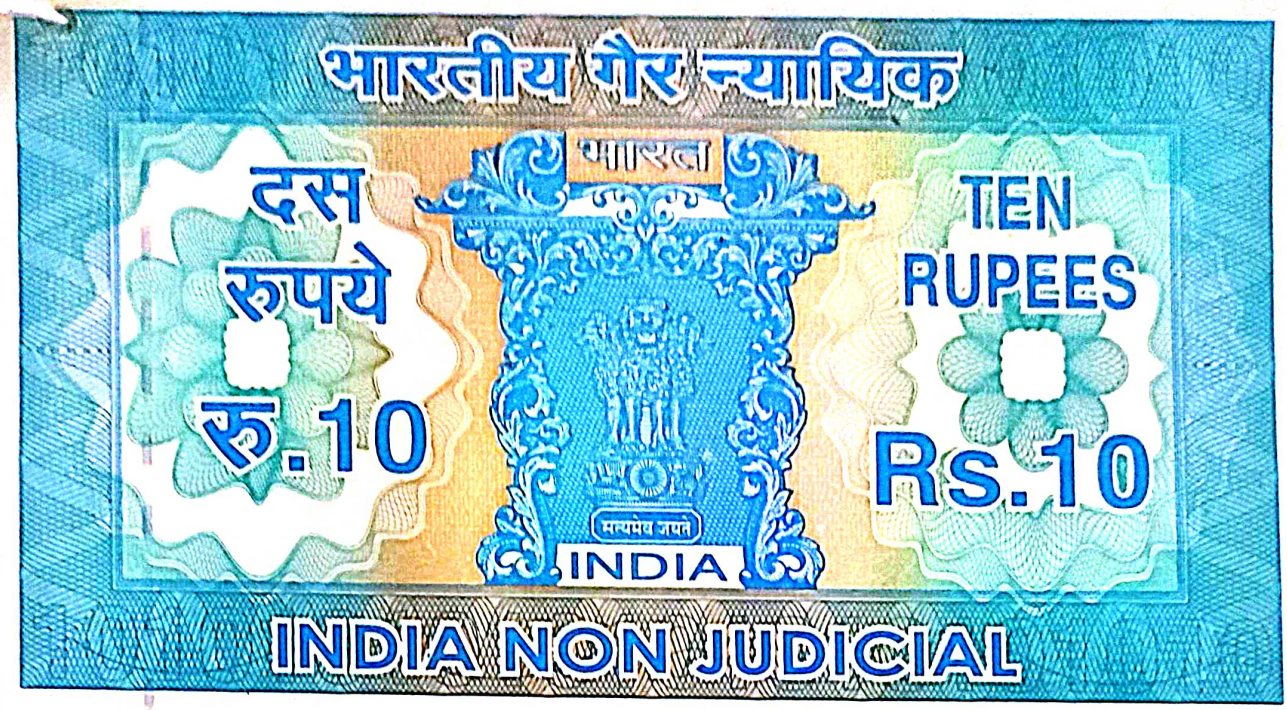

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 40AA 575642

2. सचिव द्वारा लिखित रूप से प्राधिकृत करने पर उन अधिकारी/कर्तव्यों का पालन करना जो उसे लिखित रूप से प्राप्त है।
3. सचिव द्वारा लिखित रूप से कार्यभार/कर्तव्यों का पालन करना।

14– बैंक एकाउन्ट :

1. ट्रस्ट का खाता किसी भी बैंक में खोला जा सकेगा। मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष स्वयं अथवा उसके द्वारा इस हेतु अधिकृत व्यक्ति मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा दिये गये निर्देशों के अन्तर्गत खाता खोल सकता है तथा संचालित कर सकता है।
2. ट्रस्ट के अन्तर्गत संचालित अथवा कार्यरत किसी भी विद्यालय/ महाविद्यालय संस्थान केन्द्र/ कार्यक्रम इकाई कार्यालय का पृथक नाम से बैंक खाता खोला या संचालित किया जा सकता है। इस स्थिति में स्वयं या ट्रस्ट के अध्यक्ष द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा दिये गये निर्देशों के अन्तर्गत खाता खोला एवं संचालित किया जा सकता है।

15– विधिक कार्यवाही :

1. यदि संस्था / ट्रस्ट की तरफ से कोई विधिक कार्यवाही की जाती है या उसके विरूद्ध कोई कार्यवाही होती है तो सचिव अध्यक्ष की अनुमति से अधिवक्ता की नियुक्ति एवं विभिन्न न्यायालयों में पैरवी अथवा किसी को अधिकृत कर सकता है।

16– सम्पत्ति सम्बन्धी :

1. ट्रस्ट चल/अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में वह सभी अधिकार रखता है जो कि एक नागरिक/ व्यक्ति को प्राप्त होता है।
2. ट्रस्ट की ओर से चल/अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई निर्णय लेने/ लेख–विलेख बनाने

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH (13) 12AA 125112

हेतु अध्यक्ष किसी व्यक्ति को अधिकृत कर सकता है।

3. ट्रस्ट का अध्यक्ष, ट्रस्ट की ओर से चल/अचल सम्पत्ति के संबंध में कोई भी लेख–विलेख बनाने एवं निर्णय करने हेतु पूर्णतया समर्थ एवं अधिकृत है।
4. ट्रस्ट चल/अचल सम्पत्ति का क्रय–विक्रय कर सकता है। रेहन रख सकता है। किराये पर दे सकता है अथवा ले सकता है इसके लिये मैनेजिंग ट्रस्टी/ अध्यक्ष स्वतंत्र है।
5. ट्रस्ट किसी से ऋण, दान, उपहार, आग्रह, भेंट, सम्मान पुरस्कार, स्मृति चिन्ह, मानदेय आदि प्राप्त कर सकता है और दे सकता है।
6. ट्रस्ट धन को कहीं भी विनियाजित कर सकता है, सुरक्षित कर सकता है। किसी बैंक, संस्था, कम्पनि आदि की किसी योजना में धन/ सम्पत्ति का विनियोजन कर सकता है।
7. चल/अचल सम्पत्ति की प्रतिभूति भाड़ा क्रय अनुज्ञप्ति बन्धक भारित, गिरवी विभाजित आदि कर सकता है/ ले सकता है/ दे सकता है।

17– विशेष :

क– इस ट्रस्ट के अन्तर्गत संचालित / कार्यरत किसी भी विद्यालय/ महाविद्यालय/ कार्यक्रम/ ईकाई/ कार्यालय/ संस्था उपक्रम के कार्य संचालन हेतु पृथक से नियम/उपनियम बनाये जा सकते हैं परन्तु यदि वह इस डीड ऑफ ट्रस्ट माँ शारदा स्मृति ट्रस्ट के उद्देश्य एवं नियमावली के किसी भी प्राविधान का अतिक्रमण करते हैं तो वह नियम/ उपनियम, अतिक्रमण की सीमा तक शून्य होंगे।

ख– अध्यक्ष/ट्रस्टी यदि उचित समझे तो किसी परिस्थितियों में इस ट्रस्ट डीड के किसी प्राविधान/प्राविधानों को शिथिल कर सकता है तथा कोई भी निर्णय ले सकता है। इस सम्बन्ध में अध्यक्ष का निर्णय सर्वमान्य होगा। इस धारा के अन्तर्गत अध्यक्ष द्वारा की गयी किसी

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH (14) 12AA 125113

कार्यवाही/निर्णय को कहीं भी किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी। माँ शारदा स्मृति ट्रस्ट की उक्त न्यास विलेख एवं उसमें सन्निहित माँ शारदा स्मृति ट्रस्ट के उद्देश्य एवं नियमावली एतद्द्वारा अधिनियमित अनुमोदित घोषित स्वीकृत आत्मार्पित एवं तत्काल से क्रियान्वित की जाती है।

उक्त न्यास विलेख को पढ़कर एवं समझकर व्यवहार में लाने हेतु निम्न साक्षियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर कर दिये गये।

साक्षीगण :

1. नाम : राजाराम सिंह यादव s/o श्री कुबेर यादव
   पता : मोहनापुर, दुल्लहपुर गाजीपुर

नरेन्द्र कुमार वर्मा
ट्रस्टी/अध्यक्ष
माँ शारदा स्मृति ट्रस्ट

1. नाम : सुनील सिंह यादव पुत्र लोचन सिंह यादव
   पता : ग्राम पदुमपुर पोस्ट पदुमपुर जिला गाजीपुर

मसविदाकर्ता
अशोक कुमार यादव (एडवोकेट)
पं.सं. एफ-6-37/2000
तहसील जखनिया - गाजीपुर

दिनांक : 8-5-2008

कोषागार, गाजीपुर

आज दिनांक 8-5-08 को फोटो स्टेट प्रति
पुस्तक सं० IV व 3 के पृष्ठ
265/282
पर रजिस्ट्रीकृत

उप निबन्धक
जखनिया

E.4443

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AA 496061

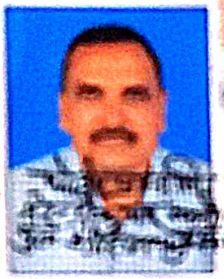

माँ शारदा स्मृति ट्रस्ट (पूरक पत्र)

न्यास विलेख (*Instrument of Trust*)

यह न्यास विलेख आज दिनांक 07-12-2018 को जखनिया गाजीपुर में नरेन्द्र कुमार वर्मा पुत्र श्री राम कृपाशंकर निवासी ग्राम बेहदीपुर पोस्ट–दुल्लहपुर विकास खण्ड व तहसील जखनिया जनपद गाजीपुर उ०प्र० द्वारा घोषित किया गया जिन्हें आगे न्यास कर्ता/संस्थापक कहा जायेगा। इस विलेख पत्र की आवश्यकता इस प्रकार उत्पन्न हुई की हम न्यास कर्ता एक लिखा न्यास पत्र दिनांक 08-08-2018 ई० को तहरीर कराकर उपनिबंधक कार्यालय जखनिया

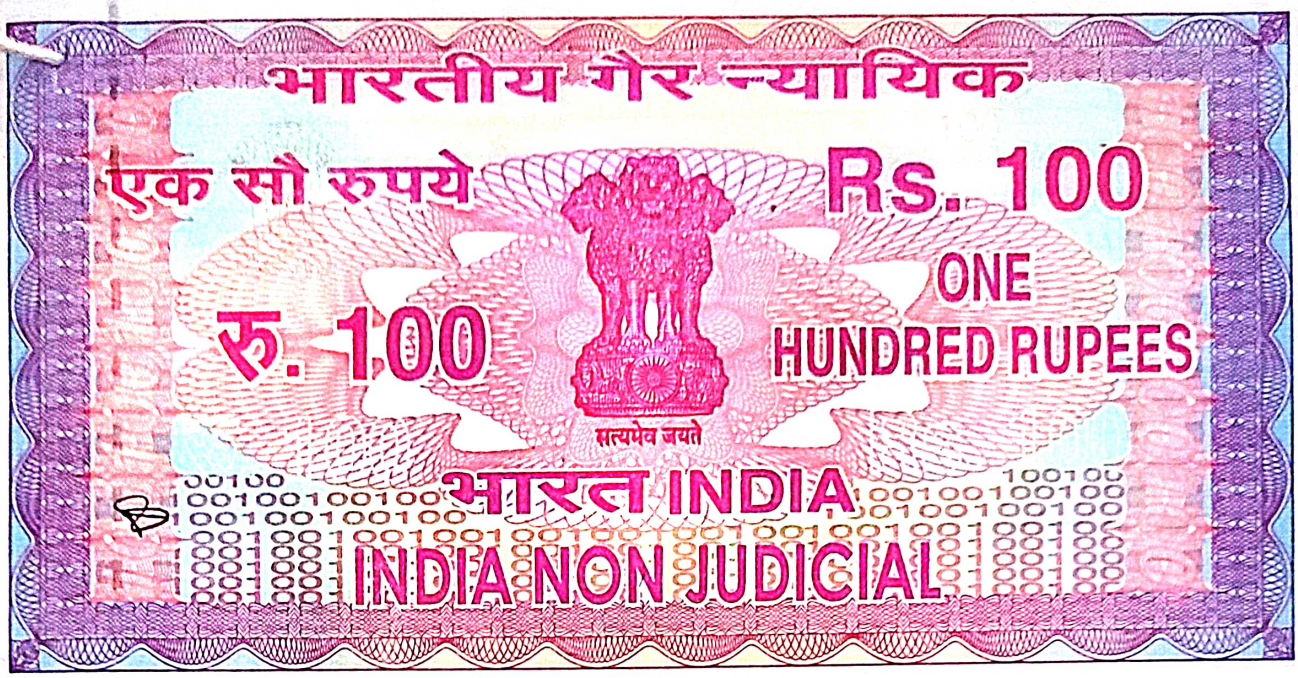

(2)

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

EF 913754

0 1 OCT 2018

गाजीपुर में बही नं0 IV जिल्द सं0 3 के पृष्ट सं0 265/292 के कम संख्या 12 दिनांक 08–05–2008 को रजिस्ट्रीकृत दर्ज हैं न्यास पत्र में निम्नलिखित अन्य प्रतिबंध और अंकित करना हैं ।

अन्य प्रतिबंध

सी0बी0एस0ई0 एवं आई0सी0एस0ई0 से मान्यता प्राप्त हेतु निम्नलिखित प्रतिबंधो का अनुपालन के सन्दर्भ में –

क– विद्यालय की पंजीकृत सोसाइटी का समय–समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।

ख– विद्यालय के प्रबंध समिति में शिक्षा निर्देशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।

ग– विद्यालय में कम से कम दस प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेगें और उनसें उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद्/बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नही लिया जायेगा।

पूरक लेखपत्र

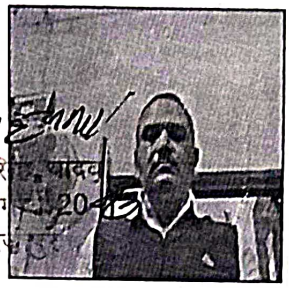

प्रतिफल- 0 स्टाम्प शुल्क- 1000 बाजारी मूल्य - 0 पंजीकरण शुल्क - 500 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 60 योग : 560

श्री नरेन्द्र कुमार वर्मा ,
पुत्र श्री श्रीराम कुशवाहा
व्यवसाय : कृषि
निवासी: मेंहदीपुर पर०शा०बाद तह०जखनिया जिला गाजीपुर

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनाँक 01/12/2018 एवं
03:36:13 PM बजे
निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

उप निबंधक जखनियाँ
उप निबंधक :जखनिया
गाजीपुर
01/12/2018

गाजीपुर जखनियां लिपिक
कनिष्ठ सहायक (निबंधन) - नियमित

प्रिंट करें

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

EF 913755

उप कोषागार

01 OCT 2018

घ– संस्था द्वारा राज्य सरकार से कोई अनुदान की मांग नही की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त हैं तथा विद्यालय का संबंधता सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेण्डरी एजुकेशन, नई दिल्ली/कौंसिल फार दी इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट इक्जामिनेशन प्राप्त होने की तिथि से परिषद् से मान्यता और राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगा।

ड़– संस्था के शिक्षक तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम से वेतनमान तथा अन्य भत्ते नही दियें जायेगें ।

च– कर्मचारियों की सेवा शर्ते बनाई जायेगी और इन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवा निवृत्ति लाभ उपलब्ध करायें जायेगें।

93023 दि० 30 99 2017
कीमत ...... 900 ....
स्टाम्प नम्बर 93021 के साथ

त्रिभुवन नारायण सिंह यादव
स्टाम्प विक्रेता त्रिभुवन नारायण सिंह यादव
ला० नं० 119 ता० अवधि 31 मार्च 2026
तहसील परिषद, जखनियाँ-गाजीपुर

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

प्रथम पक्ष: 1

श्री नरेन्द्र कुमार वर्मा, पुत्र श्री श्रीराम कुशवाहा

निवासी: मेंहदीपुर पर०शा०बाद तह०जखनियाँ जिला गाजीपुर

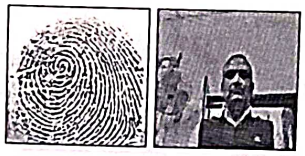

व्यवसाय: कृषि

द्वितीय पक्ष: 1

श्री नरेन्द्र कुमार वर्मा, पुत्र श्री श्रीराम कुशवाहा

निवासी: मेंहदीपुर पर०शा०बाद तह०जखनियाँ जिला गाजीपुर

व्यवसाय: कृषि

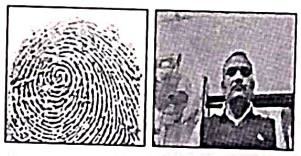

ने निष्पादन स्वीकार किया । जिनकी पहचान

पहचानकर्ता : 1

श्री महेन्द्रनाथ राम , पुत्र श्री स्व० काशी राम

निवासी: बरईपारा पर०शा०बाद तह०जखनियाँ जिला गाजीपुर

व्यवसाय: कृषि महेन्द्रनाथ राम

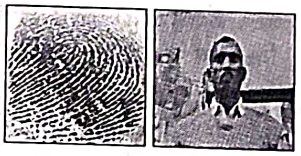

पहचानकर्ता : 2

श्री त्रिभुवन यादव , पुत्र श्री स्व० लोचन यादव

निवासी: पदुमपुरामराय पर०शा०बाद तह०जखनियाँ जिला गाजीपुर

व्यवसाय: कृषि त्रिभुवन यादव

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

ने की । प्रत्यक्षत:भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए है ।
टिप्पणी :कालम सं 0 9 लागू नही है।

उप निबंधक जखनियाँ
उप निबंधक : जखनिया
गाजीपुर

गाजीपुर-जखनिया लिपिक
कनिष्ठ सहायक (निबंधन) - नियमित

प्रिंट करें

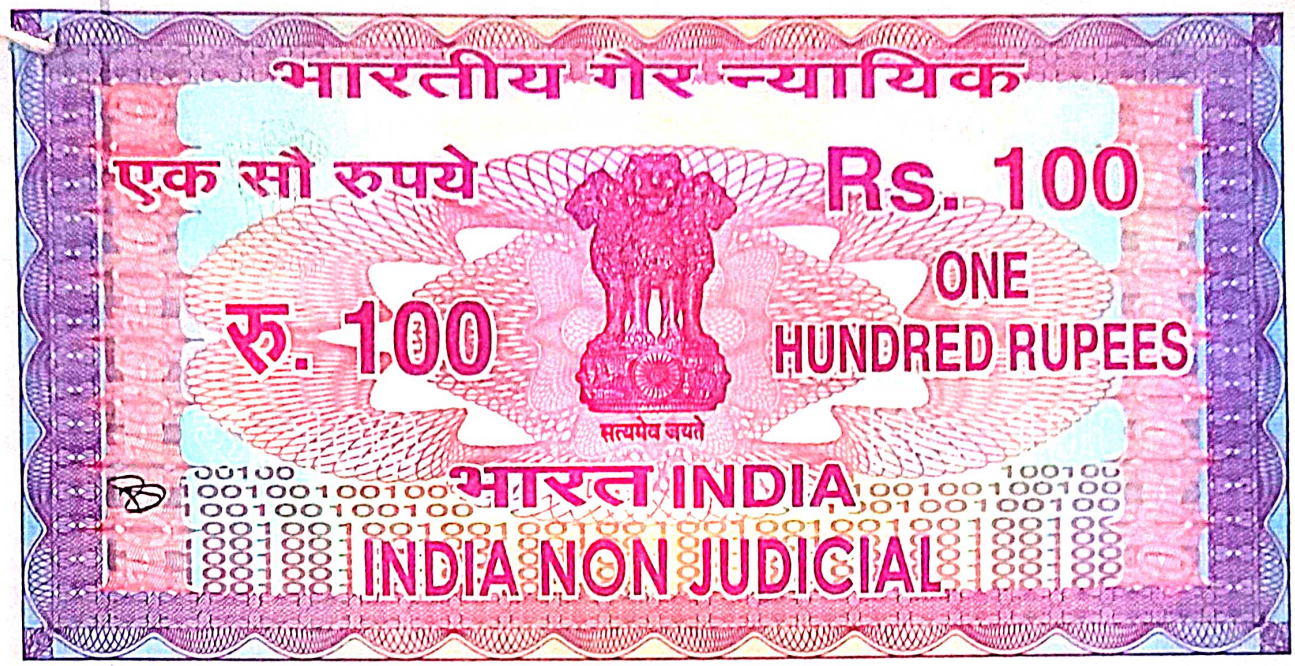

(6)

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH EF 913756

3 OCT 2018

जलनिधाँ गाजीपुर

छ– राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जो भी आदेश निर्गतउ किये जायेगें संस्था उनका पालन करेगी।

ज– विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजिकाओं में रखा जायेगा। यदि हाँ तो कृपया प्रबन्धाधिकरण का इस आशय का प्रस्ताव संलग्न करें कि विद्यालय को विभाग/शाषन के सभी प्रतिबन्ध क्रम एक से आठ तक स्वीकार हैं।

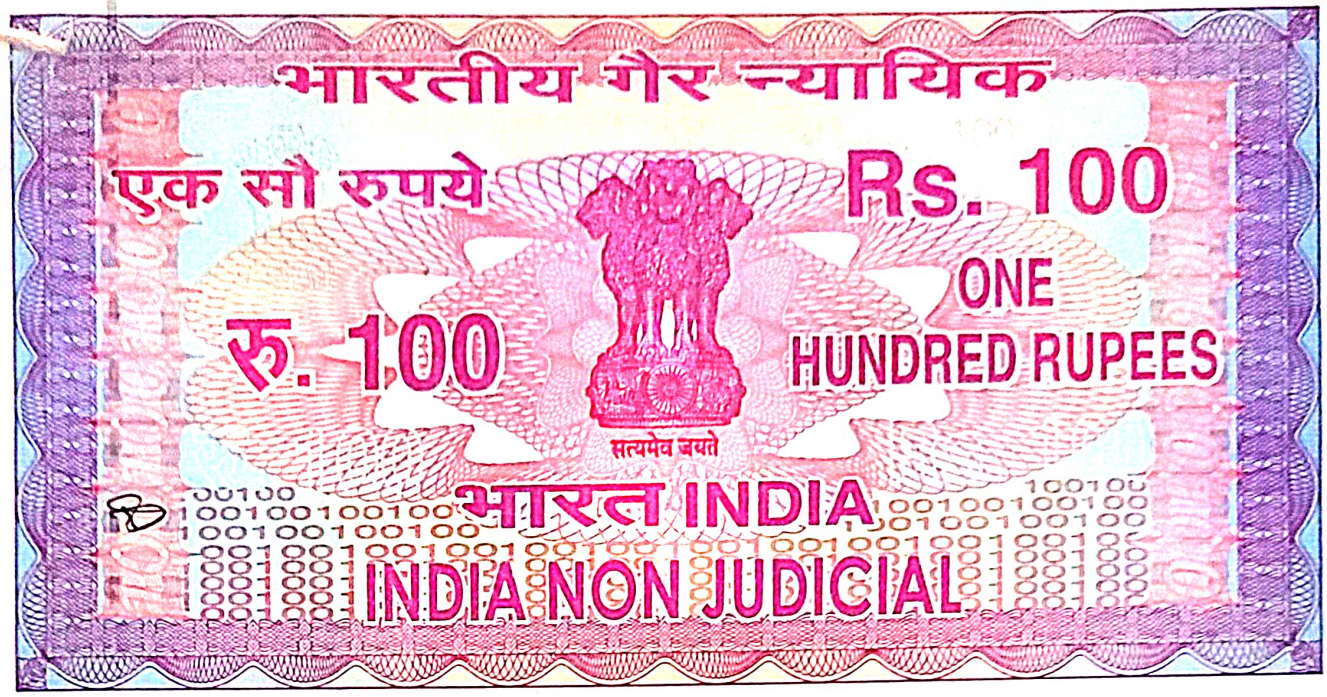

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH EF 913757

03 OCT 2018

जखनियाँ-गाजीपुर

झ– उक्त प्रतिबन्ध क्रम 'क' से 'ज' तक बिना शासन के अनुमति से परिवर्तन/परिवर्धन/संसोधन नही किया जायेगा।

उक्त न्यास विलेख में निम्नलिखित सदस्य हैं

सदस्य का नाम –	पिता का नाम	उम्र	पता
राजेश कुशवाहा	श्री जगदीश कुशवाहा	44वर्ष	रजदेपुर देहाती गाजीपुर
रविन्द्र मौर्य	श्री रामलाल मौर्य	50वर्ष	सरौदा मऊ

इस वास्तें यह पूरक पत्र लिख दिया की प्रमाण रहें व समय वक्त काम आवें उक्त पूरक न्यास विलेख को पढ़कर एवं समझकर व्यवहार में लाने हेतु निम्न साक्ष्यों की उपस्थिती में हस्ताक्षर कर दियें गयें।

(६)

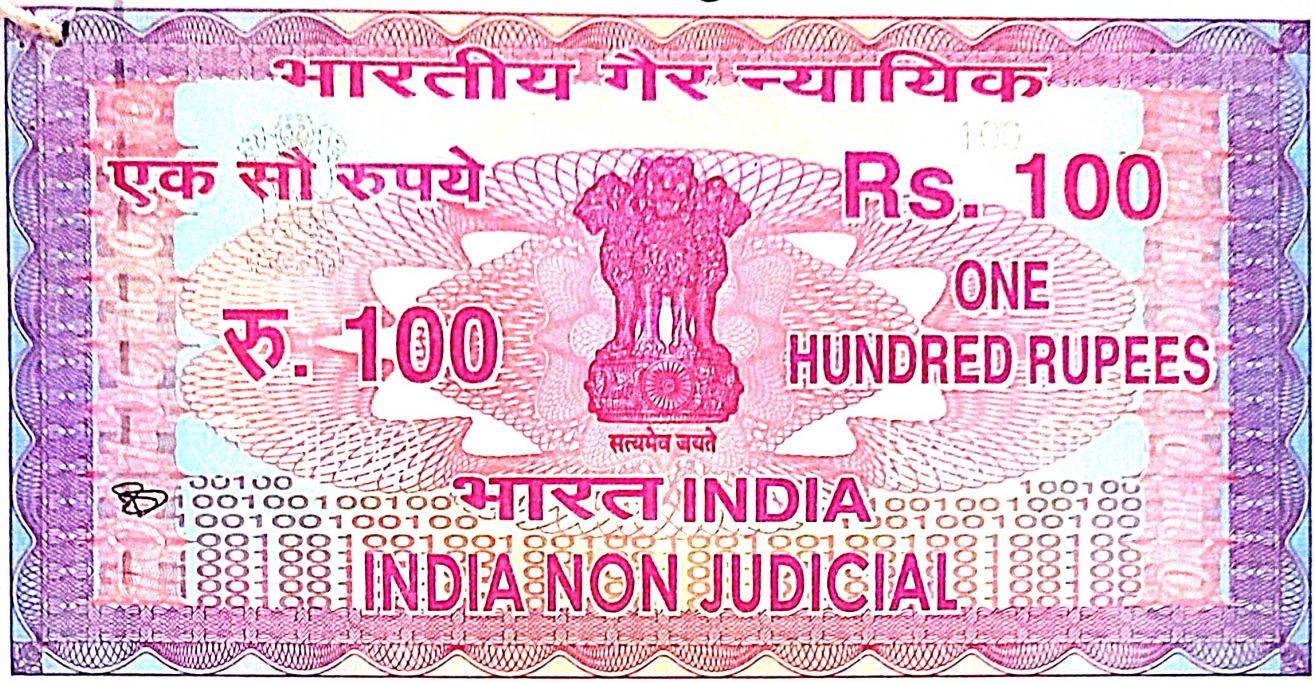

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH EF 913758

0 3 OCT 2018

जखनियाँ-गाजीपुर

टाईप कर्ता

अमित कुमार

मसविदाकर्ता

अशोक कुमार यादव एड0

पं0सं0यू0पी0 931/2000

तहसील ज़खनियां गाज़ीपुर

साक्षीगण–

1– नाम महेन्द्र नाथ राम पुत्र स्व० काशी राम

पता ग्रा० बरईपारा पो० जुटेनी

जि० गाजीपुर

7235060815

नरेंन्द्र कुमार वर्मा

ट्रस्टी/अध्यक्ष

माँ शारदा स्मृति ट्रस्ट

2– नाम त्रिभुवन यादव S/o स्व० लालचन्द यादव 9919200378

पता ग्रा० पदुमपुर रामराय पो० पदुमपुर जिला गाजीपुर

8874576113

१३०२६ दि० ३० ११ २०१८
कीमत ... १००
क्रम नम्बर १३०२१ के साथ

स्टाम्प विक्रेता त्रिभुवन नारायण सिंह यादव
ला० नं० 119 ता० अवधि 31 मार्च 2026
तहसील परिषद, जखनियाँ-गाजीपुर

बही संख्या 1 जिल्द संख्या 2067 के पृष्ठ 53 से 64 तक क्रमांक 4443 पर दिनाँक 01/12/2018 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

उप निबंधक जखनियाँ
उप निबंधक : जखनिया
गाजीपुर
01/12/2018

उप निबंधक, जखनिया, गाजीपुर
सत्यमेव जयते
उत्तर प्रदेश

प्रिंट करें